कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2022/ 1943 लखनऊ:दिनांक 17 अगस्त, 2022

सामान्य दिशा–निर्देश

काउंसिलिंग स्थल–"कलाम सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ"

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नीट पी0जी0 **(एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0)–2018/2019 के डिग्री पाठ्यकम एवं डिप्लोमा 2019/2020 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय बाण्ड हेतु** निर्गत शासनादेश दिनांक 07.03.2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार In-Person Counseling के माध्यम से सेवायोजित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् है:–

- **शासकीय हित एवं मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में यथासम्भव सेवायोजित किया जा सकता है। जिन विषयों में पी0जी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या सीनियर रेजीडेण्ट के रिक्त पदों के सापेक्ष कम है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर नये मेडिकल कालेजों में तैनात किया जायेगा।**
- सीनियर रेजीडेण्ट की रिक्त सीटों का आवंटन शासनादेश संख्या-I/185422/2022 दिनांक 4.07.2022 एवं नीट पी0जी0 2019 के शासनादेश/ब्रोशर में दी गयी व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा।
- सीटों का आवंटन मेडिकल कालेजों में रिक्त सीटों के सापेक्ष सम्बन्धित बैच की ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर किया जायेगा। सीनियर बैच (2018 बैच) को आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
- 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी वर्तमान सीट में परिवर्तन करने के इच्छुक हो, केवल वही काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करें, 2018 बैच के अन्य अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करनें की आवश्यकता नही है।
- **2018 बैच के काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने पिछले वर्ष के सीनियर रेजीडेन्सी के आवंटन पत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में आवंटन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा। पुनरावंटित अभ्यर्थियों को नई आवंटित सीट पर योगदान देना अनिवार्य होगा।**
- 2018 बैच के अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर आवंटन का अवसर प्रदान किया जाएगा,।
- **सहायक आचार्य पद पर सेवायोजन हेतु एक वर्ष का सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव होना अनिवार्य है।**
- 2019 बैच के अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर/डिमॉन्स्ट्रेटर के रिक्त पदों पर सेवायोजित किया जाएगा।
- **अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अपना नीट पी0जी0 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड जिसमें, उनकी ऑल इंडिया रैंक उल्लिखित हो, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।**
- **एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के 2019 बैच के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे संस्थान द्वारा अनिवार्य शासकीय सेवा के अन्तर्गत सेवायोजित किया जा चुका है, वह काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं है।**

- अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज आवंटन होने के पश्चात् संबंधित मेडिकल कॉलेजों में आवंटन पत्र में अंकित तिथि तक योगदान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, **योगदान की तिथि से ही सेवाकाल का निर्धारण किया जायेगा।**
- सीनियर रेजीडेन्सी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–6469 सेक–14/पाँच–250/82 दिनांक–12.10.1990 में निहित व्यवस्था के अनुसार ही सुविधायें अनुमन्य होगी।
- आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, वह अनारक्षित श्रेणी हेतु ही मान्य होंगे।
- अन्य आवश्यक सूचनाएं विभागीय वेब–साईट **www.dgme.up.gov.in** पर प्रदर्शित की जायेगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

महानिदेशक